

आवेदकों हेतु सामान्य निर्देश LL.B.

Eligibility for Admission (प्रवेश के लिए पात्रता) :

- LLB कक्षा में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत समस्त अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश हेतु अपेक्षित न्यूनतम अर्हता विधि द्वारा संस्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि, जो एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा मान्य हों, न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों सहित है, पिछड़ी जाति के लिए 42 प्रतिशत व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये 40 प्रतिशत है। यह न्यूनतम प्रतिशत बार काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा निश्चित की गयी है (बार काउन्सिल आफ इण्डिया की बैठक दिनांक 14.09.2008 में स्वीकृत रिज्योलूशन संख्या 110/2008)। ऐसे अभ्यर्थी भी प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं, जो वर्ष 2024 की स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुये हैं किन्तु उन्हें काउन्सिलिंग से पूर्व स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उनका अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
- NOTE :** The candidates who have obtained 10+2 or graduation/Post graduation through open Universities system directly without having any basic qualification for pursuing such studies are not eligible for admission in Law courses. (B.C.I. circular No. LE CIR: 02/2010 dt. 20.12.2010)

Reservation (आरक्षण) :

प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्थानों का आरक्षण उस महाविद्यालय में स्थानों की कुल संख्या के आधार पर निम्नानुसार किया जायेगा—

Vertical Reservation :

अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	02 प्रतिशत
अन्य पिछड़ी जाति	27 प्रतिशत
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर के लिए	10 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना/शासनादेश के अनुसार देय होगा। (उक्त 10 प्रतिशत सीटें, स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त होंगी।)

Horizontal Reservation in each category as per Govt. Rules

विकलांग	03 प्रतिशत (प्रत्येक कालेज/कोर्स में)
डिफेंसर्स पर्सनल	05 प्रतिशत (प्रत्येक कालेज/कोर्स में)
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	02 प्रतिशत (प्रत्येक कालेज/कोर्स में)
महिला	20 प्रतिशत न्यूनतम (प्रत्येक कालेज/कोर्स में)

टिप्पणी 1—सुरक्षा विभाग के साधारण (सिविलियन) कर्मचारियों के बच्चों को सुरक्षा सेवा कर्मी श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा।

टिप्पणी 2: उत्तर प्रदेश के बाहर के प्रान्तों के अधिकतम 5 प्रतिशत छात्रों को मेरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में प्रवेश किया जा सकता है। ऐसे सभी अभ्यर्थी सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत माने जायेंगे।

टिप्पणी 3: पिछड़ी जाति (नॉन क्रीमीलेयर) का प्रमाण पत्र 01 अप्रैल 2021 के बाद का ही मान्य होगा।

Application procedure and fee (आवेदन प्रक्रिया एवं शुल्क) :

- The candidates have to apply for entrance examination by filling online registration form which is available from **18 May, 2024 to 17 June, 2024** on University website (www.mjpru.ac.in or <https://admission.mjpruiums.in>).
- Application Fee for LLB course is Rs. 950/- + **Bank Transaction Fee**.
- After submitting the online application form Click on "Proceed for the payment" button to pay the online fee by choosing Netbanking/Debit Card/ Credit Card of your bank option and pay the Fee.
- After depositing online fee the candidate should print their application form from university website.
- Printed copy of application form should be retained by the candidate for future. **There is no need for sending application form to the University.**

Admit Card (प्रवेश पत्र)

- The Entrance test will be conducted offline on **11 July, 2024 from 09:00 am to 10:30 am.**
- The Admit cards for the entrance test shall be made available on the University website/ entrance exam portal before the entrance examination.
- The candidates have to download their admit card from the university website/ entrance exam 2024-25 portal.
- Admit cards will not be sent individually by post.

Admission Criteria (प्रवेश का मानदंड)

Please go through the following instructions carefully before entering the required details in the application form (कृपया आवेदन पत्र में अपेक्षित विवरण अंकित करने से पूर्व निम्न निर्देशों का भली भाँति अध्ययन करें।)

- बार काउन्सिल आफ इण्डिया के आदेशानुसार (बार काउन्सिल आफ इण्डिया के निर्णय दिनांक 14.02.2008) सत्र 2009–2010 में एल.एल.बी. त्रिवर्षीय शिक्षण/प्रशिक्षण सेमेस्टर प्रणाली द्वारा होगा।
- विधि महाविद्यालयों को सत्र 2024–25 में बार काउन्सिल आफ इण्डिया से यदि मान्यता नहीं है तो ऐसे महाविद्यालयों को काउन्सिलिंग के माध्यम से छात्र आवंटित नहीं किये जायेंगे।
- अपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
- प्रार्थी द्वारा दी गयी कोई भी सूचना किसी भी समय असत्य सिद्ध हो जाने पर उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
- यदि आपने आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन किया है और अपने आवेदन के साथ तत्संबंधी प्रमाण पत्र नहीं दिया है, तो आपका आवेदन पत्र सामान्य/अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जायेगा।
- परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा ऑफलाईन आयोजित की जायेगी।
- एन.सी.सी. (NCC), एन.एस.एस. (NSS), शारीरिक रूप में अपंग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/आर्म्ड फोर्स आश्रित/ खेलकूद में भाग लेने वाले अभ्यर्थी संबंधित प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें। उक्त प्रमाण पत्रों को प्रदान करने के लिये निम्न अधिकारी/ संस्थायें सक्षम हैं—

एन.सी.सी. प्रमाण पत्र	:	एन.सी.सी. निदेशालय, रक्षा मंत्रालय
एन.एस.एस. के अन्तर्गत संचालित शिविरों में भाग लेने से संबंधित प्रमाण पत्र	:	संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति एवं समन्वयक
एन.एस.एस. के अन्तर्गत 240 घंटे की सेवा	:	संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति एवं समन्वयक
किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता	:	संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति या क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष
अन्तर्विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता	:	संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति या क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष
राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता	:	शासन से संबंधित खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा
शारीरिक रूप से अपंग	:	मुख्य चिकित्साधिकारी
पुलिस	:	पुलिस अधीक्षक
होमगार्ड, बी.एस.एफ., सी.आर.पी. आदि	:	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षर प्रमाण पत्र
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/आर्म फोर्स आश्रित	:	सक्षम अधिकारी/ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी

- प्रवेश की तिथि पर स्नातक उपाधि/अंकतालिका होनी चाहिये तभी प्रवेश दिया जायेगा।

Extra Points (अतिरिक्त अंक) :

प्रत्येक न्यूनतम अर्हताधारक को निम्नांकित अतिरिक्त अंक सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आवंटित किये जायेंगे, किन्तु उनका कुल योग 10 अंक से अधिक नहीं होगा—

एन.सी.सी. – सी प्रमाण पत्र	10 अंक
एन.सी.सी. – बी प्रमाण पत्र	05 अंक
खेलकूद – राष्ट्रीय अथवा अन्तर्विश्वविद्यालय स्तर	10 अंक
खेलकूद – विश्वविद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व	05 अंक
राष्ट्रीय सेवा योजना – 240 घंटे की सेवा तथा एक सात दिवसीय विशेष शिविर	05 अंक
राष्ट्रीय सेवा योजना – 240 घंटे की सेवा तथा सात दिवसीय दो शिविर	10 अंक

टिप्पणी— उपर्युक्त क्रमांकों पर उल्लिखित में अधिकतम 10 अंक ही देय होंगे।

Syllabus for Entrance Examination (प्रवेश परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम)

- LLB (3 years course) entrance test paper shall consist of 100 objective type multiple choice questions based on General Hindi (20 Questions), General English (20 Questions) and General Knowledge, Current Affairs & Legal awareness (60 Questions).

Entrance Test Paper/Exam Procedure (प्रवेश परीक्षा पेपर/ परीक्षा प्रक्रिया)

- The entrance exam/test will be conducted offline of 1 hour and 30 minutes duration.
- The entrance test for LLB (3 years course) will be based on objective type OMR based questions.
- The paper shall comprise of 100 multiple choice type questions (both in Hindi and English languages).
- All objective questions will have four options with single correct answer.
- Four marks shall be awarded for each correct answer (प्रत्येक सही उत्तर के लिये 4 अंक दिये जायेंगे।)
- One mark will be deducted for each wrong answer (प्रत्येक गलत उत्तर के लिये एक अंक की कटौती की जायेगी।)
- No deduction will, however, be made if no response is indicated for a question (उत्तर न दिये गये प्रश्न के लिये कोई अंक नहीं काटा जायेगा।)
- More than one answer indicated against a question will be deemed as incorrect response.
- The merit list will be prepared purely on the basis of marks obtained in entrance examination alongwith extra weightage marks if applicable.
- The original OMR and question booklet has to be returned back by the candidate before leaving examination hall, where as carbon copy of OMR may be retained by the candidate.

Entrance Exam Center (प्रवेश परीक्षा केन्द्र)

- Bareilly
- Moradabad

परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

Result of Entrance test and information for admission (प्रवेश परीक्षा का परिणाम और प्रवेश के लिये सूचना)

- The result of LLB (3 Years Course) Entrance Test will be declared by the University within few days after the completion of entrance examination.
- The information regarding the declaration of the result will be published in the Local News papers and result will be uploaded on the university website/ online entrance exam 2024-25 portal.
- Applicants are advised to visit university website/ online entrance exam 2024-25 portal regularly.

The Entrance Examination will be conducted ONLY for University Campus & regular courses/ programmes of Government Colleges. The Candidates, who are willing to apply for admission in private/ self-finance colleges, have to get registered a fresh on online portal for registration.

List of Colleges/Number of Seats (कालेजों की सूची/एलएल.बी. त्रिवर्षीय सीटों की संख्या)

1	बरेली कालेज, बरेली	320
2	के.जी.के कालेज, मुरादाबाद	300

एलएल.बी. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीटों एवं महाविद्यालयों की संख्या घट या बढ़ सकती है।

General Instructions (सामान्य निर्देश)

- एल.एल.बी. में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा ही एकमात्र आधार होगी।
- प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक तथा अनुच्छेद 13 के अन्तर्गत अनुमन्य अतिरिक्त अंक (जिनकी अधिकतम सीमा 10 अंक होगी) को जोड़कर वरीयता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जायेगी।
- महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा वरीयता सूची के आधार पर प्रवेश प्रदत्त अनुमति किसी भी चयनित अभ्यर्थी द्वारा अधिकार के रूप में प्रयुक्त नहीं की जा सकेगी।
- अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच करने के उपरान्त ही उन्हें प्रवेश दिया जायेगा।
- सेवारत अभ्यर्थियों का प्रवेश, प्रवेश नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत अर्ह/अनर्ह होगा।
- एल.एल.बी. में संस्थागत प्रवेश देने के उपरान्त भी महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति को किसी भी समय प्रवेश निरस्त करने का अधिकार उस दशा में होगा जब अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई ऐसे तथ्य विद्यमान होंगे जिन में छात्र/छात्रा द्वारा मिथ्या सूचना/प्रपत्र आदि प्रस्तुत करने की स्थिति विद्यमान होगी।
- आफलाईन प्रवेश परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र यथा मोबाईल, पेजर, कैलकुलेटर आदि डेटा डिवाइस, पाठ्य सामग्री रखना अनुचित साधन माना जायेगा।
- उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थागत प्रवेश के पश्चात् यदि अभ्यर्थी की गतिविधियाँ महाविद्यालय की शान्ति एवं हितों के प्रतिकूल हों अथवा अभ्यर्थी द्वारा दुराचार एवं अनुशासनहीनता की जाये तो महाविद्यालय के प्राचार्य को अभ्यर्थी के प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। ऐसे अभ्यर्थी महाविद्यालय को दिये शुल्क आदि की वापसी हेतु भी अधिकृत नहीं होंगे।

To Apply, Click Here: <https://admission.mjpruiums.in>

आवेदकों हेतु सामान्य निर्देश (LL.M.)

Eligibility for Admission (प्रवेश के लिए पात्रता) :

- एल-एल.एम. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अपेक्षित न्यूनतम अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एल-एल.बी. / बी.ए.एल.बी. परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार प्राप्तांकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

NOTE: Students of LLB/BALLB final year may also apply, however they have to attain eligibility at the time of admission.

Reservation (आरक्षण) :

प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्थानों का आरक्षण उस महाविद्यालय में स्थानों की कुल संख्या के आधार पर निम्नानुसार किया जायेगा-

Vertical Reservation :

अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	02 प्रतिशत
अन्य पिछड़ी जाति	27 प्रतिशत
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर के लिए	10 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना/शासनादेश के अनुसार देय होगा। (उक्त 10 प्रतिशत सीटें, स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त होंगी।)

Horizontal Reservation in each category as per Govt. Rules

विकलांग	03 प्रतिशत (प्रत्येक कालेज/कोर्स में)
डिफेंस पर्सनल	05 प्रतिशत (प्रत्येक कालेज/कोर्स में)
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	02 प्रतिशत (प्रत्येक कालेज/कोर्स में)
महिला	20 प्रतिशत न्यूनतम (प्रत्येक कालेज/कोर्स में)

टिप्पणी 1-सुरक्षा विभाग के साधारण (सिविलियन) कर्मचारियों के बच्चों को सुरक्षा सेवा कर्मी श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा।

टिप्पणी 2: उत्तर प्रदेश के बाहर के प्रान्तों के अधिकतम 5 प्रतिशत छात्रों की मेरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में प्रवेश किया जा सकता है। ऐसे सभी अभ्यर्थी सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत माने जायेंगे।

टिप्पणी 3: पिछड़ी जाति (नॉन क्रीमीलेयर) का प्रमाण पत्र 01 अप्रैल 2021 के बाद का ही मान्य होगा।

Application procedure and fee (आवेदन प्रक्रिया एवं शुल्क) :

- The candidates have to apply for entrance examination by filling online registration form which is available from **18 May, 2024 to 17 June, 2024** on University website (www.mjpru.ac.in or <https://admission.mjpruiums.in>)
- Application Fee for LL.M. course is Rs. 950/- + **Bank Transaction Fee.**
- After submitting the online application form Click on "Proceed for the payment" button to pay the online fee by choosing Netbanking/Debit Card/ Credit Card of your bank option and pay the Fee.
- After depositing online fee the candidate should print their application form from university.
- Printed copy of application form should be retained by the candidate for future. **There is no need for sending application form to the University.**

Admit Card (प्रवेश पत्र)

- The Entrance test will be conducted offline and the examination shall be conducted on **11 July, 2024 from 09:00 am to 10:30 am.**
- The Admit cards for the entrance test shall be made available on the University

website/ entrance exam portal prior to entrance examination.

- The candidates have to download their admit card from the university website/ entrance exam 2024-25 portal.
- Admit cards will not be sent individually by post.

Entrance Exam Center (प्रवेश परीक्षा केन्द्र)

- Bareilly
- Moradabad

परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

Admission Criteria (प्रवेश का मानदंड)

- In LLM (2 Years Course), admission will be made strictly on the basis of merit in the Entrance Examination. However, minimum required eligibility qualification criteria must be fulfilled.
- Maximum 5% students of other states will be allowed for admission.
- Candidates will be allotted seats in different colleges as per their place/rank in the merit list.
- Candidates have to ensure that he/she is eligible for appearing in the admission test. Merely appearing in the admission test does not guarantee the admission unless eligibility conditions are fulfilled at the time of admission. Selected candidates are required to produce all the documents in original at the time of admission in the college.

Syllabus for Entrance Examination (प्रवेश परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम)

- The entrance exam paper of LL.M. will consist of 100 questions on following subjects:
 - Jurisprudence
 - Constitutional Law
 - Law of Torts
 - International Law
 - Law of Contract
 - Present Day (Law)
 - Law of Crimes
 - Right to Information Act, 2005
 - Cyber Crimes
 - Law relating to women and children

Entrance Test Paper/Exam Procedure (प्रवेश परीक्षा पेपर/परीक्षा प्रक्रिया)

- एलएल.एम. में प्रवेश ऑफलाईन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होंगे।
- प्रवेश परीक्षा में उपरवर्णित विषयों से सम्बन्धित 100 वस्तुनिष्ठ (Objective Type) प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
- प्रत्येक सही उत्तर के लिये 4 अंक दिये जायेंगे।
- प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1 अंक की कटौती की जायेगी।
- उत्तर न दिये गये प्रश्न के लिये कोई अंक नहीं काटा जायेगा।
- प्रवेश परीक्षा की अवधि 1 घंटा 30 मिनट की होगी।
- उत्तर प्रदेश के बाहर के प्रान्तों के अधिकतम 5 प्रतिशत छात्रों को मेरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में प्रवेश किया जा सकता है। ऐसे सभी अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में माने जायेंगे।
- सेवारत अभ्यर्थियों का प्रवेश, प्रवेश नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत अर्ह/अनर्ह होगा।
- ऑफलाईन प्रवेश परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र यथा मोबाईल, पेजर, कैलकुलेटर आदि डेटा डिवाइस, पाठ्य सामग्री रखना अनुचित साधन माना जायेगा।
- एलएल.एम. में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा ही एकमात्र आधार होगी।
- अभ्यर्थी को मूल ओ.एम.आर. एवं प्रश्नपुस्तिका परीक्षा की समाप्ति पर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा एवं ओ.एम.आर. की कॉर्बन कॉपी अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकते हैं।

Result of Entrance test and information for admission (प्रवेश परीक्षा का परिणाम और प्रवेश के लिये सूचना)

- The result of LLM (2 Years Course) Entrance Test will be declared by the University within few days after the completion of entrance examination.
- The information regarding the declaration of the result will be published in the Local News papers and result will be uploaded on the university website/ online entrance exam 2024-25 portal.
- Applicants are advised to visit university website/ online entrance exam 2024-25 portal regularly.

List of Colleges/Number of Seats (कालेजों की सूची/सीटों की संख्या) 150

- Department of Law, MJP Rohilkhand University Campus, Pilibhit bye Pass Road Bareilly. (90 Seats)
- *Swami Shukdevanand Law College, Mumuksh Ashram, Shahjahanpur. (20 Seats)
- *Krishna College of Law, Noorpur Road, Bijnor. (20 Seats)
- *Hakim Mehtabuddin Hashmi Law College, Amroha. (20 Seats)

*-Under SELF FINANCE Scheme

एलएल.एम. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीटों/महाविद्यालयों की संख्या घट या बढ़ सकती है।

General Instructions (सामान्य निर्देश):

- एल-एल.एम. (2 वर्षीय) पाठ्यक्रम में प्रवेश केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जो प्रवेश हेतु आवश्यक अर्हता की शर्तें पूर्ण करते हैं।
- प्रवेशार्थियों को प्रवेश देने में उ0प्र0 शासन/वि0वि0 के आरक्षण नियमों का अनुपालन होगा। प्रवेशार्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों की योग्यता सूची के आधार पर किया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के निवासियों को अधिकतम 5 प्रतिशत स्थानों पर (योग्यता क्रम में स्थान रखने पर) अर्ह होने की दशा में प्रवेश दिया जायेगा।
- अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश-पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.mjpru.ac.in) से डाउनलोड करना होगा।
- परीक्षा प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जायेगा।
- प्रवेश के समय आवेदन पत्र में संलग्न समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।
- आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश में आरक्षण का लाभ पाने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा तथा आवेदन पत्र पर दी गयी श्रेणियों के नीचे संबंधित श्रेणी पर निशान लगाना अति आवश्यक है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आरक्षित अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे क्रीमी लेयर के अन्तर्गत न आते हों। अन्यथा की दशा में अभ्यर्थी यह लाभ पाने के अधिकारी नहीं होंगे।
- आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
- आवेदन में अंकित प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को निरस्त करने के लिये महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा।
- अपेक्षित संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर दी गयी तिथि पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी, अन्यथा विश्वविद्यालय दूसरी विधा अपनाने हेतु स्वतंत्र होगा।

To Apply, Click Here: <https://admission.mjpruiums.in>

आवेदकों हेतु सामान्य निर्देश (M.Ed. : 2 Years Course)

Eligibility for Admission (प्रवेश के लिये पात्रता)

- For admission to the course of M.Ed. (2 Years Course) the minimum Educational qualification is B.Ed. or B.Ed. (Specializations) or B.El.Ed. or L.T. degree or B.A.B.Ed. or B.Sc.B.Ed.
- Admission to these courses will be allowed to those candidates only, who have secured minimum 50% marks in B.Ed. / B.Ed. (Specializations)/B.El.Ed. / L.T. degree/B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed. There will be 5% relaxation for SC/ST candidates.
- The candidates who are appearing in the eligibility examination may also appear in the Entrance Test, but they would have to submit the Marksheet of the required eligibility at the time of counseling for admission, In case the candidate fails to fulfill the minimum required eligibility, his/her claim for admission will not be considered.

NOTE: If in any of the self finance courses, the number of candidates applying for Entrance Examination is less than the number of total seats, the Entrance Examination of that subject shall not be conducted.

Reservation (आरक्षण) :

प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्थानों का आरक्षण उस महाविद्यालय में स्थानों की कुल संख्या के आधार पर निम्नानुसार किया जायेगा—

Vertical Reservation :

अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	02 प्रतिशत
अन्य पिछड़ी जाति	27 प्रतिशत
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर के लिए	10 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना/शासनादेश के अनुसार देय होगा। (उक्त 10 प्रतिशत सीटें, स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त होंगी।)

Horizontal Reservation in each category as per Govt. Rules

विकलांग	03 प्रतिशत (प्रत्येक कालेज/कोर्स में)
डिफेंस पर्सनल	05 प्रतिशत (प्रत्येक कालेज/कोर्स में)
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	02 प्रतिशत (प्रत्येक कालेज/कोर्स में)
महिला	20 प्रतिशत न्यूनतम (प्रत्येक कालेज/कोर्स में)

टिप्पणी 1—सुरक्षा विभाग के साधारण (सिविलियन) कर्मचारियों के बच्चों को सुरक्षा सेवा कर्मी श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा।

टिप्पणी 2: उत्तर प्रदेश के बाहर के प्रान्तों के अधिकतम 5 प्रतिशत छात्रों की मेरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में प्रवेश किया जा सकता है। ऐसे सभी अभ्यर्थी सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत माने जायेंगे।

टिप्पणी 3: पिछड़ी जाति (नॉन क्रीमीलेयर) का प्रमाण पत्र 01 अप्रैल 2021 के बाद का ही मान्य होगा।

Application procedure and fee (आवेदन प्रक्रिया एवं शुल्क) :

- The candidates have to apply for entrance examination by filling online registration form which is available from **18 May, 2024 to 17 June, 2024** on University website (www.mjpru.ac.in or <https://admission.mjpruuiams.in>).
- Application Fee for M.Ed. course is Rs. 950/- + **Bank Transaction Fee**.
- After submitting the online application form Click on "Proceed for the payment" button to pay the online fee by choosing Netbanking/Debit Card/ Credit Card of your bank option and pay the Fee.
- After depositing online fee the candidate should print their application form from university website.
- Printed copy of application form should be retained by the candidate for future. **There is no need for sending application form to the University.**

Entrance Exam Center (प्रवेश परीक्षा केन्द्र)

- Bareilly
- Moradabad

परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

Admit Card (प्रवेश पत्र)

- The Entrance test will be conducted offline on **11 July, 2024 from 01:00 pm to 02:30 pm.**
- The Admit cards for the entrance test shall be made available on the University website/ entrance exam portal prior to the entrance examination.
- The candidates have to download their admit card from the university website/ entrance exam 2024-25 portal.
- Admit cards will not be sent individually by post.

Admission Criteria (प्रवेश का मानदंड)

- In M.Ed. (2 Years Course), admission will be made strictly on the basis of merit in the Entrance Examination. However, minimum required eligibility qualification criteria must be fulfilled.
- Maximum 5% students of other states will be allowed for admission.
- Candidates will be allotted seats in different colleges as per their place/rank in the merit list.

Syllabus for Entrance Examination (प्रवेश परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम)

- M.Ed.(2 Years) entrance test paper will include the questions based on current affairs, general knowledge, logical reasoning, teaching aptitude, educational technology, philosophical, Psychological and sociological foundations of education and emerging problems of Indian education system.

Entrance Test Paper/Exam Procedure (प्रवेश परीक्षा पेपर/परीक्षा प्रक्रिया)

- The entrance exam/test will be conducted offline on **11 July, 2024 from 01:00 pm to 02:30 pm.**
- The entrance test for MEd (2 years course) will be based on objective type questions.
- The paper shall comprise of 100 multiple choice type questions for 1 hour and 30 minutes duration in Hindi and English languages.
- All objective questions will have four options with single correct answers.
- Four marks shall be awarded for each correct answer (प्रत्येक सही उत्तर के लिये 4 अंक दिये जायेंगे।)
- One mark will be deducted for each wrong answer (प्रत्येक गलत उत्तर के लिये एक अंक की कटौती की जायेगी।)
- No deduction will, however, be made if no response is indicated for a question (उत्तर न दिये गये प्रश्न के लिये कोई अंक नहीं काटा जायेगा।)
- More than one answer indicated against a question will be deemed as incorrect response.
- The merit list will be prepared purely on the basis of marks obtained in entrance examination.
- The candidates has to return original OMR and question booklet before leaving the examination, however the carbon copy of OMR may be retained by the candidate.

Result of Entrance test and information for admission (प्रवेश परीक्षा का परिणाम और प्रवेश के लिये सूचना)

- The result of MEd (2 Years Course) Entrance Test will be declared by the University within few days after the completion of entrance examination.
- The information regarding the declaration of the result will be published in the Local

News papers and result will be uploaded on the university website/ online entrance exam 2024-25 portal.

- Applicants are advised to visit university website/ online entrance exam 2024-25 portal regularly.

The Entrance Examination will be conducted ONLY for University Campus & regular courses/ programmes of Government Colleges. The Candidates, who are willing to apply for admission in private/ self-finance colleges, have to get registered a fresh on online portal for registration.

List of Colleges/Number of Seats (कालेजों की सूची/सीटों की संख्या)

- Faculty of Education & Allied Sciences (University Campus) Bareilly : 50 Seats
- Hindu College, Moradabad : 50 Seats

सामान्य निर्देश :

एम.एड. (2 वर्षीय) पाठ्यक्रम में प्रवेश केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जो प्रवेश हेतु आवश्यक अर्हता की शर्तें पूर्ण करते हैं।

- प्रवेशार्थियों को प्रवेश देने में उ0प्र0 शासन/वि0वि0 के आरक्षण नियमों का अनुपालन होगा। प्रवेशार्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों की योग्यता सूची के आधार पर किया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के निवासियों को अधिकतम 5 प्रतिशत स्थानों पर (योग्यता क्रम में स्थान रखने पर) अर्ह होने की दशा में प्रवेश दिया जायेगा।
- प्रवेश परीक्षा में मात्र एक प्रश्न-पत्र होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रश्नों का स्वरूप बहुविकल्पीय (Multiple Choice) होगा।
- प्रश्न-पत्र में नवीनतम घटनाएं (Current Affairs), सामान्य ज्ञान, तर्क व चिन्तन शक्ति, शिक्षण अभिक्षमता, शैक्षिक तकनीकी, शिक्षा की ज्वलंत समस्याएं व शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक आधारों से संबंधित 100 प्रश्न होंगे।
- प्रश्न-पत्र पुस्तिका के साथ उत्तर पत्रक (Answer Sheet) अलग से प्रदान किया जायेगा। अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर, केवल उत्तर पत्रक पर देने होंगे।
- अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश-पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.mjpru.ac.in) से डाउनलोड करना होगा। परीक्षा प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जायेगा।
- प्रवेश के समय आवेदन पत्र में संलग्न समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।
- आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश में आरक्षण का लाभ पाने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा तथा आवेदन पत्र पर दी गयी श्रेणियों के नीचे संबंधित श्रेणी पर निशान लगाना अति आवश्यक है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आरक्षित अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे क्रीमी लेयर के अन्तर्गत न आते हों। अन्यथा की दशा में अभ्यर्थी यह लाभ पाने के अधिकारी नहीं होंगे।
- आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
- सेवारत अभ्यर्थियों का प्रवेश, प्रवेश नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत अर्ह/अनर्ह होगा।
- ऑनलाईन आवेदन में अंकित प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को निरस्त करने के लिये महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा।

To Apply, Click Here: <https://admission.mjpruiums.in>